न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अजमेर

पीठासीन अधिकारी डॉ0 आर्तिका शुक्ला (आई.ए.एस) उपखण्ड अधिकारी अजमेर

राजस्व वाद संख्या 81/2003

श्री चन्दीराम बनाम रामा जरिये वारिसान

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 (दौ सौ बारह) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित :–

1. श्री निर्मल कुमार जैन अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री एन.एस.राजावत अधिवक्ता अप्रार्थीगण
3. राजकीय पेरोकार

आदेश दिनांक 03.03.2020

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 (दौ सौ बारह) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत विरूद्व प्रतिवादीगण को पक्षकार मुर्तिब कर प्रस्तुत किया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर उभय पक्ष विद्वान अभिभाषकगण को सुना गया ।

प्रार्थी के अभिभाषक के द्वारा दौराने बहस अपने प्रार्थना में अंकित कथनों दौराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी भारत सरकार के द्वारा अधिसूचना जारी करके (Administration of evacuee proprty Act) तहत निष्क्रान्त सम्पत्ति घोषित कर दी गई है। यह सर्वप्रथम अधिसूचना भारत सरकार द्वारा 11 फरवरी 1949 के अन्दर जारी की गई किसी भी व्यक्ति द्वारा काई ऐतराज प्रस्तुत नही किये जाने के पश्चात (Administration of evacuee proprty Act) जो कि आगे अधिनियम कहा जाएगा के तहत सक्षम प्राधिकारी के समक्ष नही की गई इस कारण से केन्द्र सरकार ने दिनांक 02.01.1956 को उक्त अधिनियम की धरा 7 (सात) के तहत निम्न वर्णित आराजी को उक्त अधिनियम की धार 7 (सात) के तहत निम्न वर्णित आराजी कस्टोडियन में पूर्ण भार मुक्त निहित हो गई, अधिनियम की धारा 7 (सात) के तहत जारी अधिसूचना के पश्चात भी किसी भी व्यक्ति द्वारा निम्न वर्णित आराजी को रिलीज किये जाने बाबत कोई भी दावा

Scanned by CamScanner

अधिनियम के तहत प्राधिकारी अधिकारी महोदय के समक्ष नही किया गया इस कारण से अधिनियम की धारा 28 (अठाइस) के तहत निम्न वर्णित आराजी कस्टोडियन में पूर्ण रूप से निहित हो गई है। भूमि मौजा खानपुरा स्थित खसरा नम्बर पुराना 0443 क्षैत्रफल 01–04–10 खसरा नम्बर 0461 रकबा 00–10–10 खसरा नम्बर 0462 रकबा 02–04–00 खसरा नम्बर 0427 रकबा 00–16–10 नया खसरा नम्बर 0451 रकबा 01–04–10 चाही 2 व खसरा नम्बर 467 रकबा 00–10–10 चाही 2, खसरा नम्बर 0468 रकबा 02–04–00, चाही 02, खसरा नम्बर 0438 रकबा 00–16–10 चाही 2 है। उपरोक्त आराजी कस्टोडियन में निहित होने के कारण प्रफोर्मा प्रतिवादी संख्या 7 (आठ) ने यह आराजी वादी को अपने आदेश कमांक एफ 35 (10) (31) पुर्नवास –90–214–16 दिनांक 15.10.90 के जरिये आवंटित कर दी और इस आवंटन की पालना में प्रफोर्मा प्रतिवादी संख्या 7 (सात) ने वादी को 16.11.91 के अन्दर उक्त आराजी के बाबत सनद् जारी कर दी । उपरोक्त आराजी के आवंटन के पश्चात तहसीलदार अजमेर द्वारा दिनांक 09.03.92 को नामान्तकरण संख्या 28 के जरिये यह आराजी वादी के नाम दाखिल खारिज कर दी गई और इसी अनुसार वादी वाद पत्र में पैरा 1 (एक) में वर्णित आराजी का रिकार्डेड खातेदार हो गया है। प्रार्थीगण द्वारा अनाधिकृत व अवैध रूप से इस आराजी पर अतिकमण कर रखा है वादी बार बार प्रतिवादीगण से निवेदन किया गया था वह इस भूमि को रिक्त कर कब्जा वादी को संभला देवे परन्तु प्रतिवादीगण ने कोई कब्जा देने की चेष्टा नही की और न ही कब्जा वादी को दिया । अतिक्रमणी होते हुए भी प्रतिवादीगण इस विवादित आराजी को अन्य व्यक्ति को गुमराह करके गलत तथ्य बताकर विक्रय कर रहे है और खुर्द–बुर्द करने पर उतारू है। ऐसी स्थिती में वादी के पास माननीय न्यायालय की शरण के अलावा अन्य कोई भी उपाय उपलब्ध नही है। वादी प्रतिवादीगण संख्या 1 से लेकर 2 से वाद पत्र के पैरा नम्बर 1 (एक) में वर्णित कृषि भूमि का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है। प्रतिवादीगण संख्या 7 व 8 के विरूद्ध कोई भी अनुतोष नही चाहा गया है क्योंकि वह आवश्यक पक्षकार है इसलिए उन्हें पक्षकार बनाया गया है। प्रथम दृष्टया वाद प्रार्थीगण के पक्ष में है विपक्षीगण संख्या 1 से 2 प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 1 (एक) में वर्णित आराजी में पूर्णतया अतिकमणी है और उनका इस भूमि पर काश्त करने का कोई भी अधिकार नही है इसलिए यह युक्ति युक्त सद्भाविक व न्याय संगत है कि विवादित आराजी का कब्जा रिसीवर के जरिये न्यायालय द्वारा लिया जाए । अगर आराजी पर रिसीवर नियुक्त नही किया जाता है तो तुलनात्मक कठिनाई भी प्रार्थीगण को होगी और वह अपनी खातेदारी भूमि के फल नही प्राप्त कर सकेगा इसके विपरित अतिक्रमणी अप्रार्थीगण 1 से 2 बिना किसी अधिकार के जबरदस्ती अवैध रूप से अतिक्रमण कर अतिक्रमणी के रूप में इस भूमि पर काश्त कर रहे है इसलिए सुविधा का सन्तुलन भी प्राथीगण के पक्ष में है और अगर वह प्रार्थना पत्र स्वीकार नही किया गया तो प्रार्थी को ऐसी कठिनाई होगी जिसका मूल्यांकन मुद्रा में नही किया जा सकता है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थना पत्र के पैरा नम्बर 1 में वर्णित आराजी के लिए रिसीवर मुकर्रर करावे। तथा प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी का कब्जा रिसिवर को सभलाया जावे । वकिल प्रार्थी ने अपने समर्थन में न्यायिक दृष्टांत आरडी 2005 पेज 172, आरआरडी 1986 पेज 522, आरआरडी 1989 पेज 470, आरआरटी 2011(2) पेज 721, आरबीजे (14) 2007 पेज 260, आरआरटी 2003 (2) पेज 1216, आरआरडी 2003 पेज 113, आरआरटी 2007 (1) पेज 311, आरआरटी 2014 (2) पेज 1207, आरआरटी 2002 (1) पेज 162, आरआरटी 2003 (1) पेज 537, आरआरडी 1993 पेज 498 प्रस्तुत किये ।

Scanned by CamScanner

प्रतिवादी के अभिभाषक द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र के जवाब प्रस्तुत कर जवाब में अकित तथ्यों को दोहराते हेतु बहस में निवेदन किया कि आराजी मुतनाजा का कोई आवंटन प्रार्थी को विधिवत् तौर पर नहीं किया गया है व ना ही प्रार्थी को कोई कब्जा ही आराजी मुतनाजा पर आवंटन के तहत् दिया गया है । अतः प्रार्थी का आवंटन कतई अवैध व उत्तरदाता के विरूद्व शून्य प्रभावी है। जिस आवंटन आदेश दिनांक 15.10.90 के जरिये प्रार्थी आराजी मुतनाजा का आवंटन अपने पक्ष में होना कहता है वह भी चीफ सेटलमेंट कमिशनर महोदय जयपुर के समक्ष अपील में विचाराधीन है। उत्तरदाता आराजी मुतनाजा पर वैध रूप से काबिज चला आ रहा है व उत्तरदाता का कब्जा राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के लागू होने के पूर्व से ही आराजी मुतनाजा है व उततरदाता आराजी मुतनाजा का रिकार्डेड खातेदार है। उत्तरदाता ने आराजी मुतनाजा पर कोई अतिक्रमण नही किया गया है बल्कि उत्तरदाता आराजी मुतनाजा पर बतौर काश्तकार काबिज है। प्रार्थी आराजी मुतनाजा का खातेदार नही है व ना ही उसे विधिवत् तौर पर कोई आवंटन विवादित भूमि का हुआ है उसने गलत तौर पर नियमों के विपरीत जो आवंटन कराया है उसे उत्तरदाता ने चीफ सेटलमेंट कमिश्नर महोदय जयपुर के समक्ष अपील में चुनौति दे रखी है। अतः प्रार्थी किसी भी प्रकार से कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी नही है। उत्तरदाता आराजी मुतनाजा का काश्तकार है व उसने आराजी मुतनाजा को बहुमूल्य प्रतिफल के बदले खरीद किया है व विपक्षी का वाद बेदखली का है । अतः बिना दावे के निर्णय ही उत्तरदाता को आराजी मुतनाजा से बेदखल किया जाना न्याय सिद्वान्तों के कतई विपरीत है व उत्तरदाता के विरूद्व किसी भी प्रकार का कोई आरोप प्रार्थी ने नही लगाया है। अतः धारा 212 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के प्रावधानो की पर्ति नही होने से रिसीवर नियुक्त किये जाने का प्रार्थी की प्रार्थना कतई अमान्य है। जब तक धारा 212 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के प्रावधानो के अनुसार रेज, डेमेज, एलीनेशन का कोई कथन या कोई आरोप नही है व ना ही उत्तरदातागण आराजी मुतनाजा को किसी भी प्रकार से विक्रय नही कर रहे है और ना ही खुर्द्व-बुर्द्व करने की उनकी कोई मंशा ही है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी मनगढंत तथ्यों के आधार पर दावे के निर्णय से पूर्व ही उत्तरदातागण को बेदखल करना चाहता है जबकि रिसीवर नियुक्ति के कोई आधार दावे में विधमान नही है। प्रार्थी आराजी मुतनाजा का ना तो खातेदार है और ना ही उसे विधिवत तौर पर कोई आवंटन ही हुआ है। अतः प्रार्थी के पक्ष में ना तो कोई सुविधा का संतुलन है और ना ही कोई प्रथम दृष्टया केस ही उसके पक्ष में है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र असत्य व मनगंढत होने के कारण मय खर्चा खारिज फरमावे।

उभय पक्ष अभिभाषकगण द्वारा प्रार्थना पत्र पर की गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख एवं अन्य दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन करने से इस निष्कर्ष पहुँचे है कि प्रार्थीगण द्वारा वर्तमान प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर विवादित भूमि पर रिसीवर नियुक्त किये जाने का अनुतोष चाहा गया है जबकि मूल वाद

Scanned by CamScanner

...त धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत बेदखली हेतु प्रस्तुत ...ा है । इस प्रकार मूल अनुतोष को रिसीवर के माध्यम से प्रदान किया जाना ...चित नही है साथ ही प्रार्थीगण द्वारा वर्तमान प्रार्थना पत्र दिनांक 9.12.2003 को प्रस्तुत किया गया है । जिसको लगभग 16 वर्ष व्यतीत हो चुके है। इस दौरान विवादित भूमि पर किसी प्रकार का कोई वाद विवाद इत्यादि होकर किसी प्रकार का प्रकरण दर्ज होकर विवादित भूमि इनमिडियों रही हो ऐसा भी कोई दस्तावेज प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नही किया गया है तथा ना ही पत्रावली से यह तथ्य भी प्रकृट नही होता है कि विवादित भूमि के सबंध में कोई स्थगन आदेश प्रभाव में हो तथा उसका अप्रार्थीगण द्वारा उल्लंघन किया हो । साथ ही भूमि पर रिसीवर नियुक्त किया जाना एक कठौरतम आदेश है, जो कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं दस्तावेज साक्ष्य के परिपेक्ष्य में प्रदान किया जाना उचित एवं विधि सम्मत प्रतित नही होता है ।

परिणामतः उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 वास्ते नियुक्त किऐ जाने रिसीवर . अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है ।

आदेश आज दिनांक 03.3.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

डॉ0 आर्तिका शुक्ला
आई.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी
अजमेर

Scanned by CamScanner